पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने सोलहवीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के विघटन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया

लखनऊः 17 मार्च, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज तत्काल प्रभाव से सोलहवीं उत्तर प्रदेश विधान सभा जो दिनांक 8 मार्च, 2012 को गठित की गयी थी, के विघटन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल ने 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मंत्रि परिषद के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

सत्रहवीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये सामान्य निर्वाचन सात चरणों में सम्पन्न हुआ था तथा नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम दिनांक 14 मार्च, 2017 को अधिसूचित कर दिये गये है। आज आयोजित मंत्रि परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्रहवीं विधान सभा अपना कार्य विधिवत तभी कर सकेगी जबकि सोलहवीं विधान सभा का विघटन कर दिया जाय, जिस पर राज्यपाल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

अंजुम/ललित/राजभवन (94/24)